राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.14(2)खान / ग्रुप–1 / 2000–पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 7 JAN 2010

परिपत्र

विभाग द्वारा प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के खनन पट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति, सूक्ष्म जॉच एवं निस्तारण on line कम्प्यूटराइजेशन के माध्यम से दिनांक 18.12.2009 से प्रारंभ कर दिया गया है । अतः प्रधान खनिज के प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदित क्षेत्र को कम्प्यूटर में अप लोड करने के लिए आवेदित क्षेत्र के नक्शा व विवरण सूची में आवेदित क्षेत्र के सभी बिन्दुओं के कोर्डिनेट्स (अक्षान्तर एवं देशान्तर) होना आवश्यक है, ताकि आवेदित क्षेत्र रिक्त है अथवा नहीं, की जानकारी आवेदक एवं विभाग को आवेदित दिनांक को हो सकें ।

अतः भविष्य में प्रधान खनिज के वे ही आवेदन पत्र ग्राह्य होंगे, जिनमें आवेदन पत्र के साथ नक्शा एवं विवरण सूची में आवेदित क्षेत्र के सभी बिन्दुओं के कोर्डिनेट्स दिये हुए होंगे । अप्रधान खनिज के मामलों में आवेदक जहाँ विभागीय पिलर बना हुआ है, वहाँ से आवेदित करेगा तथा यदि जिस क्षेत्र में कोई नया आवेदन पत्र लगता है एवं विभागीय पिलर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में किसी स्थाई रेफरेंस पोइंट से आवेदित करेगा, उसमें स्थाई रेफरेंस पोइंट के अक्षान्तर एवं देशान्तर अंकित करना आवश्यक होगा । जिन आवेदन पत्रों के साथ उपरोक्तानुसार कोर्डिनेट्स नहीं दिये हुए होंगे, वे आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं होंगे एवं उन्हें आवेदनकर्ता को बिना इन्द्राज किये । उसी समय आक्षेप के साथ लौटा दिया जावें ।।

क्षेत्र के सीमांकन के समय सभी पिलर्स को समीप में उपलब्ध स्थाई बिन्दु लोकल रेफरेंस जैसे कुआ, मंदिर, पक्का मकान आदि से दूरी एवं बियरिंग द्वारा आवश्यक रूप से जोड़ा जायेगा एवं सीमांकन रिपोर्ट में अंकित किया जायेगा । इसकी सुनिश्चितता संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंता आवश्यक रूप से करायेंगे । यदि पिलर खातेदारी भूमि में आता है, तो उस भूमि का खसरा नम्बर व खातेदार का नाम भी अंकित करेंगे, राजकीय भूमि / चारागाह भूमि होने पर खसरा नम्बर व चारागाह / राजकीय भूमि दर्ज करेंगे । भूमि की किस्म व खसरा नम्बर का सत्यापन संबंधित राजस्व विभाग के हल्का पटवारी से कराया जायेगा । सीमांकन के समय फील्ड बुक का पूर्वानुसार संधारण किया जायेगा ।

आवेदित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु के अक्षान्तर–देशान्तर जो प्रेषित किये जायेंगे, यह यू.टी.एम. प्रोजेक्शन में होंगे तथा डेटम डब्ल्यू जी.एस.–84 पर होंगे ।

ह०
(सी०एल० कायल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

FAX ✓ 1. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्यालयों एवं अधिकारियों को सूचित करते हुए इस परिपत्र का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं पालना करावें ।
2. अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर / जोधपुर / उदयपुर
3. अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / भरतपुर / बीकानेर / भीलवाड़ा / कोटा
4. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव

जरिये फैक्स एवं e-mail

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान–उदयपुर ।

क्रमांकःनिदे / रि.से. / प–50–B-IV/08-09/4617 दिनांक : 08.01.2010

प्रतिलिपि निम्न को भेजकर निवेदन है कि आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित कार्यालयों एवं अधिकारियों को अपने स्तर से इस परिपत्र को तत्काल अग्रेषित कर व्यापक प्रचार–प्रसार एवं पालना सुनिश्चित करावें :–

1– अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / मुख्यालय / पर्या. एवं वि., के.का.,
2– अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / भरतपुर / बीकानेर / भीलवाडा / कोटा / प्रथम / द्वितीय / तृतीय, के.का., उदयपुर ।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (मुख्यालय–द्वितीय)